

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयकर गणना हेतु प्रपत्र

1. स्थाई खाता सं० (पैन नं०).....
2. अधिकारी/कर्मचारी का नाम.....
3. वार्षिक संकल धनराशि (वेतन+अवशेष).....
4. वार्षिक आय (अन्य स्रोत).....
5. कुल सकल आय.....
6. (क) मकान किराये का वास्तविक भुगतान.....
 (ख) (मूल वेतन+मह० भत्ते) का 10 प्रतिशत.....
 (ग) (मूल वेतन+मह० भत्ते) के 10 प्रतिशत से अधिक किराया जो वास्तविक भुगतान किया गया
 (घ) छूट (वास्तव में प्राप्त मकान किराया भत्ता या कॉलम (ग) की धनराशि जो भी कम हो).....
7. अवश्य संलग्न करें।)
 (क) जी०पी०एफ० में जमा.....
 (ख) सामूहिक बीमा में अंशदान.....
 (ग) व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी में जमा.....
 (घ) एन०एस०सी०/पी०पी०एफ०.....
 (ड.) अन्य निवेश.....
 (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य).....
 (छ) भवन निर्माण अग्रिम की वापसी.....
 (ज) कुल योग.....
8. अन्य छूट (जिस धारा के अन्तर्गत प्राप्त करनी है उसका विवरण तथा प्रमाण पत्र की फोटो प्रति)
9. भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज की वापसी.....
10. कर योग्य आय (कॉलम 5-6-7-8).....
11. आयकर का आगणन.....
 (क) ₹० 2,50,000.00 तक (पुरुष/महिला)..... शून्य.....
 (ख) ₹० 2.50 लाख से 5 लाख तक 10 प्रतिशत.....
 (ग) ₹० 5.00 लाख तक आयकर में ₹० 2000.00 की छूट(U/S87A).....
 (घ) ₹० 5 लाख से 10.00 लाख तक 20 प्रतिशत.....
 (ड.) ₹० 10.00 लाख तक या उससे अधिक 30 प्रतिशत
11. शिक्षा उपकर (देय आयकर का 2 प्रतिशत).....
- 11क. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर 1 प्रतिशत.....
12. , शुद्ध देय आयकर.....
13. जनवरी, 2015 तक दिया गया आयकर.....
14. फरवरी, 2015 में दिया जाने वाला आयकर.....

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर